



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2705]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2013/अग्रहायण 12, 1935

No. 2705]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2013/AGRAHAYANA 12, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

का.आ. 3577 (अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा-6 की उप-धारा (3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) की धारा-6 के साथ पठित धारा-4 के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा श्री पी. के. प्रधान, पूर्व सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्थान पर डॉ. के. जगदीशन, संस्थापक अध्यक्ष एवं मुख्य सर्जन, के. जे. अस्पताल अनुसंधान एवं स्नातकोत्तर केन्द्र, चेन्नई को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के एक सदस्य के रूप में मनोनीत करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 2 जुलाई, 2013 की अधिसूचना सं. जेड-28016/42/2013-एस एस एच, जिसे दिनांक 2 जुलाई, 2013 के का. आ.(अ) के, तहत भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-(ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में क्र. सं. तथा तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. एवं प्रविष्टि रखी जानी चाहिए, अर्थात्:—

1. डॉ. के. जगदीशन,
संस्थापक अध्यक्ष एवं मुख्य सर्जन,
के. जे. अस्पताल अनुसंधान एवं स्नातकोत्तर केन्द्र,
चेन्नई।

[फा. सं. जेड-28016/42/2013-एस एस एच]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई, 2013 के का.आ. 2012(अ) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2013

S.O. 3577 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 4, read with sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) and with Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. K. Jagadeesan, Founder Chairman & Chief Surgeon, K.J. Hospital Research & Postgraduate Centre, Chennai to be a member of All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar in place of Shri P.K. Pradhan, former Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, number Z-28016/42/2013-SSH, dated the 2nd July, 2013, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2012 (E), dated 2nd July, 2013 :—

in the said notification, for serial number and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:—

- “1. Dr. K Jagadeesan,
 Founder Chairman & Chief Surgeon,
 K.J. Hospital Research & Postgraduate Centre,
 Chennai.”

[F.No. Z-28016/42/2013-SSH]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India (Extraordinary) vide No. S O. 2012 (E), dated 2nd July 2013.